(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING (DEVELOPMENT DEPARTMENT) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 49, SHAMNATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.

Dated: 01 12 2015

NOTIFICATION

No. F.8 (25)/2013/DAM/MR/ 2960 . - Whereas the notification for regulation of marketing of the following 26 additional items of fruits and vegetables, which are agricultural produce pertaining to items under clauses "VII. Fruits" and "XIV. Vegetables" specified in the schedule to the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), in the three marketing committees, namely APMC MNI Azadpur, APMC Keshopur and APMC Shahdara in their respective market areas in the National Capital Territory of Delhi was published, as required by sub-section (1) of section 3 of the said Act, in the Delhi Gazette Part-IV Extra-Ordinary, dated the 02nd July, 2015 of Government of National Capital Territory of Delhi, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which copies of the Delhi Gazette, in which the said notification was published, were made available to the public.

VII. Fruits -

1. Sharadha, 2. Rambo Daan, 3. Dargon, 4. Mango Steem, 5. Rambirtan, 6. Ramphal

- 1. Avacado, 2. Baby Corn, 3. Bannar Flower, 4. Brocoli, 5. Capsicum (Red & Yellow),
- 6. Cherry Tomato, 7. Fennel Root, 8. Haricot Beans, 9. Hot Saag, 10. Iceberg, 11. Kareen,
- 12. Leek, 13. Lemon Grass, 14. Lemon Us, 15. Letituce Endiveve, 16. Lottw Rosso,
- 17. Romaine Coz, 18. Sweet Saag, 19. Toro, 20. Zucehinni

And, whereas the copies of the said notification were made available to the public on 3rd July, 2015.

And, whereas no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 4 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to regulate the marketing of the aforesaid agricultural produce in the aforesaid marketing committees, in their respective market areas in the National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

> BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI. No. F.8 (25)/2013/DAM/MR/ 2961-75

Dated: 01/12/2015

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & 2. Inspection, NH-IV, Faridabad.

The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
- The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, 7. Delhi
- The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi.
- 11 The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
- The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi 12
- 13 The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 14 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15 Guard file.

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—4 में प्रकाशनार्थ) कृषि विपणन निदेशालय (विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांक : 01/12/2015

अधिसूचना

संоफा० 8(25)/2013/डीएएम/एमआर/ 2960 — जबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तीन विपणन समितियां अर्थात् कृषि उपज मंडी समिति राष्ट्रीय महत्व की मंडी आजादपुर, कृषि उपज मंडी समिति राष्ट्रीय महत्व की मंडी आजादपुर, कृषि उपज मंडी समिति शाहदरा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने—अपने मंडी क्षेत्रों में दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की अनुसूची में दर्शाए खंड 'VII फल-' और 'XIV सब्जियो-' के अन्तर्गत ऐसी मदों से संबंधित निम्नलिखित 26 अतिरिक्त 'फल'' और 'सब्जी'' उपज के विपणन के विनियमन को करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार दिल्ली राजपत्र भाग—IV असाधारण में दिनांक 02 जुलाई, 2015 को प्रकाशित करके, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध की गई थी उस तिथि से 45 दिन के भीतर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गये थे;

VII. फल-

1. शरदा 2. रैम्बो दान 3. डारगन 4. मैंगो स्टीम 5. रामबिरतन 6. रामफल

XIV. सब्जियाँ

1. अवाकाडों, 2. बेबी कोर्न, 3. बनार फ्लावर, 4.बरोकली 5. कैप्सीकम (रैंड & येलों), 6. चेरी टोमाटो, 7. फेनल रूट, 8. हरीकोट बींस, 9. होट साग, 10. आइसबर्ग 11. करीन, 12. लीक, 13. लेमन ग्रास, 14. लेमन यूएस, 15. लेटीटयूस एंडीवेव, 16. लोटव रोसो, 17. रोमेन कोज, 18. स्वीट साग, 19. टारो, 20. जूसेहीनी

और, जबिक उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 03 जुलाई, 2015 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है; अतः अब दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विपणन समितियों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संबंधित मंडी क्षेत्रों में उक्त उल्लिखितकृषि उपज के विपणन का विनियमन तत्काल लागू होगा ।

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> > (वी. पी. राव) विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0फा० ४(25)/2013/डीएएम/एमआर/ २१६१-75

दिनांक : 01/12/2015

प्रतिलिपि:-

सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, और पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

15 गार्ड फाईल।

विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार